उत्तराखण्ड शासन

वृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018

उद्योग निदेशालय, देहरादून

औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून

Scanned by CamScanner

त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सचिवालय
सुभाष रोड, देहरादून

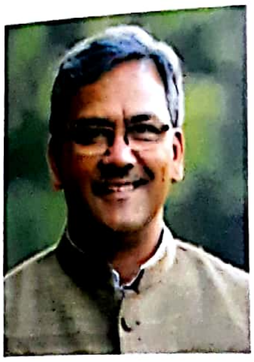

संदेश

उत्तराखण्ड राज्य गठन के पश्चात् राज्य ने औद्योगिक क्षेत्र में विशेष उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। उत्तराखण्ड राज्य में छोटे, मझोले एवं बड़े सभी तरह के उद्योग इस अवधि में स्थापित हुए, जिनमें 47 हजार करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगों के विकास के लिए आकर्षक नीतियाँ लागू की हैं। इनमें नवाचारी उद्यमों के लिए स्टार्टअप नीति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एम0एस0ई0 नीति, बड़े उद्योगों के लिए मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति प्रमुख हैं।

मेरे संज्ञान में लाया गया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति से आच्छादित नहीं होने वाले निवेशकों को राज्य सरकार की किसी भी नीति का लाभ नहीं मिल पा रहा था। सरकार ने इस अंतराल को पूर्ण करने के लिए राज्य में **''वृहत औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2018''** लागू करने का निर्णय लिया है।

मेरा विश्वास है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति से आच्छादित नहीं होने वाले निवेशकों के लिए यह नीति उपयोगी साबित होगी तथा राज्य में निवेश संवर्द्धन तथा रोजगार सृजन के अवसरों में निश्चित ही वृद्धि करने में सहायक होगी।

(त्रिवेन्द्र सिंह रावत)

Scanned by CamScanner

वृहत औद्योगिक निवेश
एवं
रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2018

1. नीति का दृष्टिकोण एवं कार्यान्वयन

उत्तराखण्ड वृहत (श्रेणी–1) औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2018 का दृष्टिक्षेत्र, उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है जिससे पूंजी निवेश के साथ–साथ रोजगार के अवसर सृजित हो सके एवं प्रदेश के स्थायी, समेकित तथा संतुलित आर्थिक विकास को बल मिले।

ध्येय (मिशन)

1) प्रदेश मे पूंजी निवेश बढ़ाना और इनमें अतिरिक्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन।
2) मध्यम उद्यम क्षेत्र से वृहत उद्यम (श्रेणी–1) क्षेत्र में प्रवेश को सुगम बनाना।
3) व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने के लिए व्यवसाय करने की सहजता को बढ़ावा देना।
4) कुशल व अकुशल श्रमिकों के लिए अधिकतम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार तथा स्व–रोजगार के अवसर सृजित करना।
5) वृहत विनिर्माणक तथा सेवा उद्यमों को सहायता प्रदान करना।
6) युवाओं में नवाचार की भावना को बढ़ाना एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।
7) संतुलित, स्थायी एवं समेकित आर्थिक विकास के लिए नीति का प्रभावी क्रियान्वयन।

दृष्टिक्षेत्र (विज़न) प्राप्त करने के लिये प्रस्तावना

प्रदेश सरकार निम्नलिखित रणनीतियों के माध्यम से दृष्टिक्षेत्र (विजन्) को प्राप्त करने का प्रयास करेगी :

1) **अवस्थापना को सक्षम बनाना**
   नवीन अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा विद्यमान अवसंरचना सुविधाओं को उन्नयन करना।
2) **रोजगार सृजन**
   रोजगार के नए अवसरों की रचना।
3) **वित्तीय प्रोत्साहन**
   निवेश आकर्षण।
4) **व्यापार करने में सहजता**
   एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाना।
5) **मेक इन उत्तराखण्ड**
   मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाना।
6) **कुशल कार्यबल**
   जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना।
7) **नवाचार : स्टार्ट–अप को बढ़ावा।**
8) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा वृहत उद्योगों का समेकित विकास सुनिश्चित करना और इनमें अतिरिक्त पूंजी निवेश को प्रोत्साहन।
9) **घरेलू एवं वैश्विक परिवेश**
   वाह्य कारकों से लाभ प्राप्त करना एवं उनके प्रति अनुक्रियाशीलता।

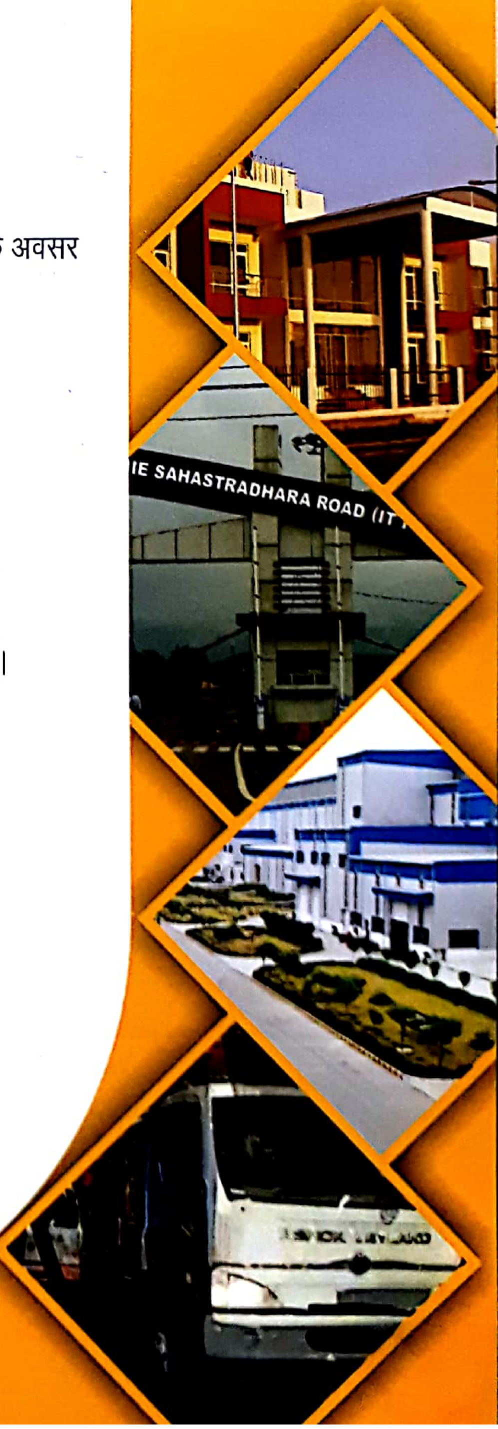

Scanned by CamScanner

नीति का क्रियान्वयन

यह नीति, अधिसूचना जारी होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष तक प्रभावी होगी। राज्य सरकार के विवेकानुसार नीति को संशोधित, विस्तारित या बंद किया जा सकता है, यदि इस नीति में कोई संशोधन अथवा परिवर्द्धन किया जाता है, तो भी सरकार द्वारा इकाई को पूर्व में स्वीकृत पैकेज वापस नहीं लिया जायेगा एवं इकाई को पूर्व स्वीकृत लाभ मिलते रहेंगे।

इस नीति के तहत वाणिज्यिक उत्पादन/गतिविधि प्रारम्भ करने की तारीख से अधिकतम 5 (पांच) वर्ष के लिए पात्र उद्यम/इकाइयां नीति में प्रदत्त प्रोत्साहन और रियायतें प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते वे नीति की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तावित गतिविधि/उत्पाद का वाणिज्यिक संचालन/उत्पादन शुरू करें।

इस नीति के तहत प्रोत्साहन/लाभ का दावा करने के लिये प्रचालनात्मक दिशा निर्देश अलग से जारी किये जायेगें।

(क) यदि इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिये अधिकृत होगा।

(ख) विर्निदिष्ट प्राविधानों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने पर, प्रकरण में व्याख्या करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

2. परिभाषाएं

(1) पूंजीगत निवेश

(क) ऐसे विनिर्माणक वृहत उद्योग (श्रेणी–1), जहा संयंत्र और मशीनरी में विनिधान रु0 10 करोड़ से अधिक हो किन्तु मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट नीति–2015 में लार्ज प्रोजेक्टस् के लिये निर्धारित पूंजीगत सीमा रु. 50 करोड़ से कम हो।

(ख) सेवा प्रदाता वृहत उद्योग (श्रेणी–1), जहा उपस्कर में विनिधान रु. 5 करोड़ से अधिक हो किन्तु मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट नीति–2015 में लार्ज प्रोजेक्टस् के लिये निर्धारित पूंजीगत सीमा रु. 50 करोड़ से कम हो।

(2) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से तात्पर्य है वाणिज्यिक पैमाने पर तैयार माल के विनिर्माण की शुरूआत जिसका पहले परीक्षण उत्पादन हो चुका हो तथा सम्पूर्ण संयंत्र एवं मशीनरी का संस्थापन हो चुका हो तथा उस दिन संयंत्र वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादों के विनिर्माण के लिए हर प्रकार से तैयार हो तथा विनिर्माण हेतु अपेक्षित समस्त कच्चे माल, उपभोग वस्तुएं आदि उपलब्ध हों तथा यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणों के पास पंजीकरण की तारीख के अनुरूप हों।

(3) 'औद्योगिक इकाई' का अर्थ है सरकार द्वारा विभागीय/निगम के माध्यम से संचालित इकाई से भिन्न कोई औद्योगिक उपक्रम अथवा पात्र सेवा प्रदाता इकाई जो कि वस्तु और सेवा कर के तहत एक पंजीकृत व्यापार उद्यम है।

(4) 'विनिर्माण कार्य' का अर्थ है 'वह कार्य जो निर्जीव भौतिक वस्तु अथवा मद अथवा चीज में परिवर्तन लाता है

(i) जिसके परिणामस्वरूप वस्तु, मद अथवा चीज का एक नये तथा विशिष्ट वस्तु अथवा मद अथवा चीज में कायान्तरण होता है जिसका अलग नाम, गुण तथा इस्तेमाल होता है, अथवा (ii) जिससे एक अलग रासायनिक मिश्रण अथवा भिन्न ढांचे के साथ एक नयी तथा विशिष्ट वस्तु, मद अथवा चीज का निर्माण होता है।

Scanned by CamScanner

(5) 'नई औद्योगिक इकाई' का अर्थ है वह औद्योगिक इकाई जिसने नीति लागू होने की अधिसूचना जारी होने की तारीख अथवा उसके बाद इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में नई औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम–2012 के अंतर्गत उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन के लिये राज्य नोडल ऐजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो तथा उद्यम स्थापनार्थ उक्त तिथि से पूर्व कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया हो।

(6) 'पर्याप्त विस्तार की इकाई का अर्थ है क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण के प्रयोजन के लिये इकाई के पूर्व स्वरूप में क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में कम से कम 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की हों तथा मौजूदा इकाई के विस्तार के लिये उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम–2012 के अंतर्गत वांछित स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा/ अनुमोदन के लिये राज्य नोडल ऐजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो तथा उद्यम के विस्तारीकरण के लिए उक्त तिथि से पूर्व कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया हो।

(7) 'संयंत्र और मशीनरी' में स्थल पर स्थापित नए खरीदे गए औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी शामिल होंगे। अन्यत्र से विस्थापित/रिसाइकिल/रिफर्बिश्ड संयंत्र और मशीनरी इस स्कीम के तहत सहायता के पात्र नहीं है। सेवा क्षेत्र की औद्योगिक ईकाई के लिए संयंत्र और मशीनरी में भवन के निर्माण की लागत और उस विशेष सेवा उद्योग के प्रचालन हेतु बुनियादी रूप से आवश्यक वास्तविक परिसंपत्तियां शामिल होंगी लेकिन इससें भूमि और उपभोज्य, डिस्पोजेबल अथवा राजस्व प्रभार वाली कोई अन्य मद शामिल नहीं होगी।

(8) सक्षम प्रधिकारीः सक्षम प्रधिकारी का तात्पर्य विभाग या एजेंसी के ऐसे प्रधिकारी अथवा प्रतिनिधि से है, जिन्हें इस नीति के कार्यान्वियन के लिये विशिष्ट प्राधिकारी नामित किया गया हो।

(9) वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति की प्रक्रिया नीति के तहत प्रोत्साहन सहायता के दावों के प्रस्तुतीकरण, स्क्रुटनी तथा दावों की स्वीकृति के लिये समिति के गठन के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन अलग से प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश जारी करते हुए समिति का गठन करेगा।

(10) वितरण एजेंसीः सिडकुल अथवा अन्य नामित एजेंसी/विभाग, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रोत्साहन/लाभ के वितरण/प्रतिपूर्ति के लिए अधिकृत किया गया हो।

(11) अचल पूंजीगत निवेशः अचल पूंजी निवेश से तात्पर्य परियोजना की स्थापना के लिये सृजित की जाने वाली स्थाई परिसम्पत्तियों, जैसे यंत्र एवं संयंत्र, उपस्कर, फैक्ट्री बिल्डिग आदि में किये गये पूंजीगत निवेश से है।

(12) वृहत विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (श्रेणी–1): वृहत विनिर्माणक तथा सेवा उद्यम (श्रेणी–1) का अर्थ ऐसे वृहत विनिर्माणक /सेवा उद्यमों से है, जिनमें "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006" में मध्यम विनिर्माण/सेवा उद्यम के वर्गीकरण के लिये यंत्र एवं संयंत्र/उपस्कर में निर्धारित पूंजीगत निवेश की सीमा से अधिक पूंजी निवेश हो, किन्तु "मेगा इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट नीति–2015" में लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये निर्धारित पूंजीगत सीमा से कम हो।

(13) 'प्रभावी कदम' से आशय, निम्नलिखित एक अथवा अधिक कदमों से हैः–

i) औद्योगिक इकाई के लिए जारी की गयी पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक का भुगतान किया जा चुका हो।

ii) फैक्ट्री भवन के किसी हिस्से का निर्माण हो चुका हो।

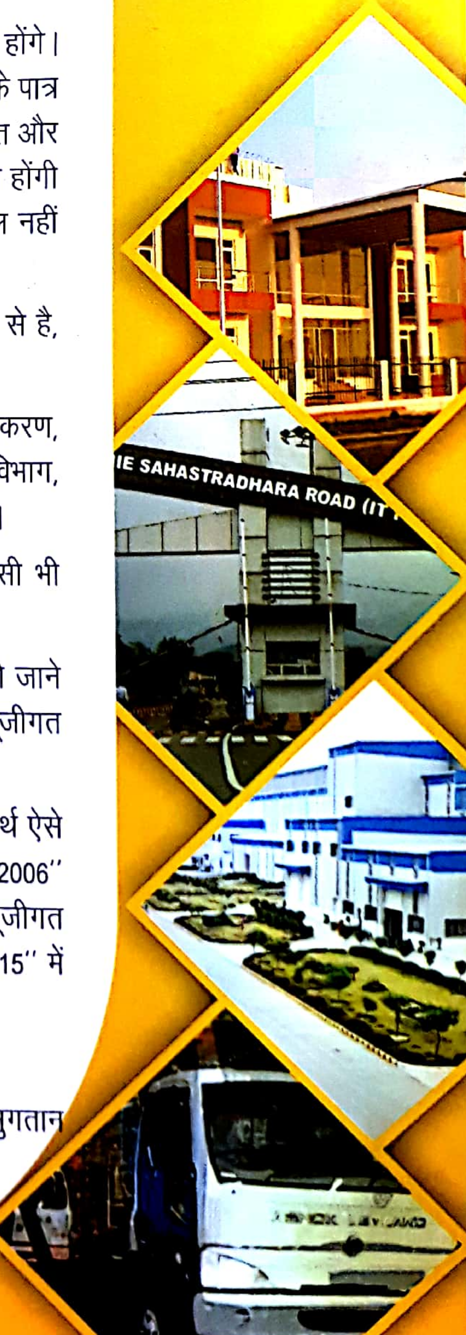

Scanned by CamScanner

iii) औद्योगिक इकाई के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र अथवा मशीनरी के लिए निश्चित (Firm) आदेश दिया जा चुका हो।

3. पात्रता मापदंड

(क) नीति के अंतर्गत उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम–2012 के अंतर्गत नये उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के पर्याप्त विस्तारीकरण हेतु सभी वांछित स्वीकृति/अनापत्ति/अनुज्ञा/अनुमोदन के लिये राज्य नोडल ऐजेंसी, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में ऑनलाइन आवेदन कर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त की गयी हो।

(ख) भारत सरकार, वाणिज्यि और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक सहायता सचिवालय, उद्योग भवन नई दिल्ली में वृहत उद्यम की स्थापना अथवा विद्यमान उद्यम के विस्तार के लिये आई0ई0एम0 (Industrial Entrepreneurs Memorandum) दाखिल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो।

(ग) केंद्र/राज्य सरकार की किसी योजना/नीति के तहत पहले से समान प्रकार के प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाईयॉ नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहनों की पात्र नहीं होंगे।

4. नीति के तहत प्रदत्त प्रोत्साहन/लाभ

(क) सिडकुल द्वारा भूमि आवंटन इस नीति के तहत सिडकुल औद्योगीक क्षेत्रों में आवंटित भूमि का 50 प्रतिशत प्रीमियम, भूमि के आवंटन पर ही देय होगा और शेष राशि अगले 2 वर्षों मे दो समान किश्तों में ब्याज के साथ देय होगी। यदि भूमि आवंटन पर पूरा 100 प्रतिशत भुगतान किया जाता है, तो भूमि के प्रीमियम की गणना में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ख) नीति के तहत अन्य रियायतें और प्रोत्साहन

(1) परियोजना के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थान से लिये गये सावधि ऋण पर लागू साधारण ब्याज दर में 5 प्रतिशत, अधिकतम रु 3 लाख प्रति इकाई/प्रतिवर्ष ब्याज की प्रतिपूर्ति।

(2) उद्यम की स्थापना/विस्तार के लिये क्रय/लीज पर ली गयी भूमि के क्रय विलेख पत्र/लीज डीड के निष्पादन में स्टॉम्प शुल्क प्रभार में 50 प्रतिशत की छूट।

(3) ई.टी.पी की स्थापना के लिये 30 प्रतिशत, अधिकतम रु. 20 लाख तक का पूंजीगत उपादान।

5. विविध

(क) यदि इस नीति के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिये अधिकृत होगा।

(ख) विर्निदिष्ट प्राविधानों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता होने पर, प्रकरण में व्याख्या करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

Scanned by CamScanner

उद्योग निदेशालय , देहरादून
औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून

दूरभाष : 0135 2728227
फैक्स : 0135 2728226
ई–मेल : ifc.uttarakhand@gmail.com / mpr@doiuk.org
वेबसाइट: www.destinationuttarakhand.in / www.doiuk.org

टोल फ्री नं. : 1800 270 1213

सरस्वती प्रेस । 9358865676

Scanned by CamScanner